



कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्रीमत राजमाता विजयराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

ई -मेल : deanshivpuri@gmail.com

वेबसाइट <http://shivpurimedicalcollege.com>

क्रमांक. १५३८६

/ स्था.राज / 2024

शिवपुरी, दिनांक - २७/१२/२०२४

// विज्ञप्ति सूचना //

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल का ज्ञाप क्रमांक एफ २-५३/२०१७/१/५५ भोपाल दिनांक १२.०१.२०१८ द्वारा संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश की टीप क्रमांक ८१-९९/स्था/राज/२०१८ भोपाल, दिनांक ०१.०१.२०१८ में संलग्न मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, २०१८ के नियम ६, ७ एवं मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ २-५७/२०१८/१/५५ भोपाल दिनांक ३०.०७.२०१९ एवं कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा भोपाल के पत्र क्रमांक ३९४/स्था/राज/२०२२ भोपाल दिनांक १८.०४.२०२२ द्वारा जारी की गई अनुसूचियों के अनुसार तथा मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल मध्यप्रदेश का आदेश क्रमांक ११०५ एफ २-४५/२०१०/१/५५ भोपाल दिनांक २४.०७.२०२४ द्वारा जारी नवीन प्रोरेटा (दिशा-निर्देश) के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी के फिजियोलॉजी विभाग का पदोन्नति का सहायक प्राध्यापक का निम्नानुसार ०१ पद को प्रोरेटा में दिये गये निर्देशानुसार इन हाउस विज्ञापित केवल चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

क्रमांक	विभाग का नाम	सहायक प्राध्यापक		
		वेतनमान लेवल - ११ न्यूनतम	UR	ST
१)	फिजियोलॉजी	१	-	-

२. उपरोक्त पदों के लिए अर्हता निम्नानुसार है :-

(अ) अनिवार्य अर्हतायें :- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक १४ फरवरी २०२२ के अनुसार होगी।

नोट :-

(i) इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एन.एम.सी.) के प्रचलित मापदण्डों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित अर्जित अर्हता अनिवार्य।

(ब) मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि का स्थायी पंजीयन अथवा अन्य किसी राज्य में पंजीयन होने पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में पंजीयन अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में छानवीन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अंतिम एवं बंधकारी होगा।

(स) **विशेष :-**

(i) उक्त अर्हताएं विज्ञापन जारी दिनांक तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अपात्र माने जायेंगे।

(ii) यदि अभ्यार्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारिण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गये सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना भी अनिवार्य है।

(iii) चयन सूची में दो या अधिक अभ्यार्थियों के समान अंक होने की स्थिति में वह अभ्यार्थी जिसने अंतरिम प्रोरेटा में अधिक अंक प्राप्त किये हो, उसे चयन सूची में उच्च वरियता दी जायेगी, परन्तु यदि अभ्यार्थी के अंतरिम प्रोरेटा में समान अंक पाये जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वह अभ्यार्थी जिसकी आयु अधिक हो उसे चयन सूची में उच्च वरियता दी जायेगी।

(द) टीप :-

- (i) महाविद्यालय द्वारा भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किये जायेंगे। पदों की संख्या में कभी या वृद्धि चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।
- (ii) चयनित अभ्यार्थियों की नियुक्ति एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।
- (iii) किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की मूलनिवासी महिलायों के लिए आरक्षित पद पर उपयुक्त महिला अभ्यार्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यार्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।
- (iv) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित पदों हेतु केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन ही आवेदन कर सकेंगे। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यार्थी जो अपने मूल निवासी के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में मान्य है, अनारक्षित श्रेणी के रूप में विचारित किए जायेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यार्थियों को यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा की वे क्रीमीलेयर की श्रेणी में नहीं आते।
- (v) चयनित अभ्यार्थी की नियुक्ति मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा राजपत्र सेवा नियम 2023 के अंतर्गत होगी। नियुक्त अभ्यार्थी पर राज्य शासन द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश लागू रहेंगे। अभ्यार्थी की नियुक्ति/पदस्थापना संबंधी अधिकार अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी का होगा।

3. आयु सीमा :-

- विज्ञापन दिनांक से अधिवार्षिकी आयु (65 वर्ष) पूर्ण करने में न्यूनतम 05 वर्ष शेष हो।
- मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक 1492/1/1/1/0003/2024/मेडि-सत्रह भोपाल दिनांक 11.11.2024 के अनुसार सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्त हेतु अधिकतम आयु सीमा को 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- राज्य शासन द्वारा समय—समय पर जारी अन्य आयु सीमा के संबंध में दी गई छूट मान्य होगी।

4. आवेदन—पत्र प्रेषण के संबंध में आवश्यक अनुदेश :-

- (i) विभागीय वेबसाइट विज्ञापन के साथ संलग्न आवेदन पत्र प्रारूप में आवेदन दिनांक 03.01.2025 सांग 5.00 बजे तक आमंत्रित किये जायेंगे।
- (ii) विलंब से प्राप्त आवेदन —पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (iii) आवेदक यह सुनिश्चित करे कि उनके द्वारा आवेदन—पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी के समस्त पत्र व्यवहार में करे।

5. आवेदन शुल्क :—

अभ्यार्थी आवेदन शुल्क "Dean, Government Medical College, Shivpuri" के पक्ष में समस्त प्रवर्गों के आवेदक आवेदन शुल्क अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर) हेतु राशि रु. 2500/- (रु. दो हजार पांच सौ मात्र) एवं आरक्षित वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग एवं निशक्तजन उम्मीदवार हेतु राशि रु. 1500/- (रु. एक हजार पांच सौ मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यार्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यार्थियों हेतु
रु. 1500/- (रुपये एक हजार पांच सौ मात्र)	रु. 2500/- (रुपये दो हजार पांच सौ मात्र)

6. अभ्यार्थी आवेदन पत्र के साथ निम्नानुकूलित प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित कर अनिवार्य रूप से संलग्न करें :—

- (i) आयु संबंधी प्रमाण के लिए :— केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण—पत्र/जन्म प्रमाण पत्र जिसमें जन्य तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।
- (ii) शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण—पत्र :— हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है, के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियों एवं उपाधियों की स्वप्रमाणिक छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- (iii) संविदा सेवा के अनुभव प्रमाण पत्र :— यह प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में धारित पद तथा अनुभव अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
- (iv) शोध पत्र :— समस्त रिसर्च पब्लिकेशन/स्वरचित पुस्तक अध्याय की स्व—प्रमाणित छायाप्रति।
- (v) अन्य कार्य अनुभव यदि हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र की छायाप्रति।
- (vi) जाति के प्रमाण—पत्र :— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर) का स्थाई जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण—पत्र देने के अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यार्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जिसके लिए अभ्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यार्थी का कोई वचन—पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं विभाग इस संदर्भ में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित किया हुआ जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलाएं विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन यदि हो तो इस संबंध में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। (डिजिटल जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)
- अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है अर्थात् अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे।
- (vii) अनापत्ति प्रमाण पत्र :— शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था/निजी चिकित्सा महाविद्यालय के कर्मचारी हेतु नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

7. निर्हतायें :—

- a) विकृत चित्त वाला होने पर।
- b) दुश्चरित्र होने पर।
- c) शारिरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

- d) नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा— किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास / अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जायेगा।
- e) विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसके किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
दिनांक 26.01.2001 के पश्चात जिस उम्मीदवार की जीवित बच्चों की संख्या 02 से अधिक हो गई हो वह चयन के लिए पात्र नहीं होगा परंतु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही 01 जीवित संतान है तथा दिनांक 26.01.2001 के पश्चात आगामी प्रसव दो या अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं होगा।
- f) कूटरचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- g) कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी सेवा के कदाचरण के लिए परिणाम स्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो, यदि उसके नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- h) ऐसे उम्मीदवार जिसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज है अथवा उसके विरुद्ध दर्ज किसी आपराधिक मामले में वह दोष सिद्ध हुआ हो।
- i) स्वास्थ्य संबंधी – मानसिक रूप से स्वस्थ्य न होने पर किसी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा जब तक कि वह राज्य शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात अच्छी तरह से शारिरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य पाया जाये तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

8. यात्रा व्यय का भुगतान :–

साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का कोई यात्रा व्यय/भत्ता देय नहीं होगा।

9. अधिवार्षीकी आयु :– 65 वर्ष

10. चयन प्रक्रिया :– चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। विज्ञापित पदों के 5 गुना अभ्यार्थियों को प्रोसाटा अंकों के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यार्थी उपलब्ध हों।

11. विज्ञापन के संबंध में आवश्यक निर्देश :–

- (अ) विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं एवं साक्षात्कार के परिणाम केवल चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की वेबसाईट में प्रकाशित किए जायेंगे। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा विभाग की वेबसाईट का निरंतर अवलोकन करते रहें।
- (ब) विस्तृत जानकारी हेतु निम्न वेबसाईट देखें :–
आवेदन पत्र भरने हेतु अन्य निर्देश/जानकारी महाविद्यालय, शिवपुरी की वेबसाईट
<https://shivpurimedicalcollege.com> पर उपलब्ध है।

12. अन्य आवश्यक निर्देश :—

- (अ) समस्त नियुक्तियां शासन द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों/निर्णयों के अध्याधीन रहेगी एवं किन्हीं भी कारणों से किसी भी अभ्यार्थी का आवेदन अयोग्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा। निरस्त होने की स्थिति में अभ्यार्थी किसी भी प्रकार से नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेंगे।
- (ब) किसी भी विसंगति की स्थिति में चयन समिति का निर्णय अंतिम माना जायेगा।

13. आवेदन की अंतिम तिथि :— दिनांक 03.01.2025 शाम 5.00 बजे तक ही आवेदन पत्र मान्य होंगे।


मुख्य कायपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्रीमंत राजमाता विजयराजे सिंधिया
चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी



आवेदन का प्रारूप

पदनाम विषय के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन—पत्र

(विज्ञप्ति क्रमांक अंतिम तिथि / / 20....)

स्वप्र माणित
फोटो

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

1. आवेदक का नाम
2. पुरुष / महिला
3. पिता / पति का नाम (उपनाम सहित).....
4. वर्तमान पद एवं कार्यस्थल / संस्थान.....
5. वर्तमान संस्थान जहां कार्यरत है प्रायवेट है या शासकीय है
.....
6. वर्तमान निवास निवास का पता (पिनकोड सहित).....
.....
शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं..... ईमेलआईडी.....
7. स्थाई पता (पिनकोड सहित).....
.....
शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं.....
8. आधार कार्ड नम्बर
9. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें).....
10. दिनांक 01 / 01 / 2023 को आवेदक की आयु दिन माह वर्ष
11. आवेदक की वैवाहिक स्थिति— विवाहित / अविवाहित
12. विवाह का दिनांक—
13. विवाह के समय आपकी उम्र वर्ष माह दिन
पति / पत्नि की उम्र वर्ष माह दिन
14. आपके बच्चों की संख्या.....
15. यदि बच्चों की संख्या 02 है तो सबसे छोटे बच्चे का जन्म दिनांक.....

16 वर्ग : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग

(आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

नोट :- मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी न होने की स्थिति में वर्ग अनारक्षित लिखें।

17. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक

अ. (एम.बी.बी.एस.)-

ब. एमडी / एमएस-

स. एमसीएच / डीएम-

18. शैक्षणिक योग्यताएँ:- (प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड / वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	एम.बी.बी.एस. के कुल प्राप्तांक/प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
1	2	3	4	5	6	7	
1	MBBS First Prof.						
2	MBBS Second Prof.						
3	MBBS Final Part I						
4	MBBS Final Part II						
5	MD/MS/DNB/MDS/PHD						
6	DM/MCH						
7	S.R.						
8	Extra Qualification						

(प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक भरें)

नोट: प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

For D.N.B. candidates:-

D.N.B. course duration(in years)	Number of beds in teaching Hospital where D.N.B. course was conducted	Eligibility of D.N.B. guide's/supervisor's as PG teacher as per MCI/NMC TEQ	Post D.N.B. S.R. ship/Research Associate(CISR) in MCI recognized/permitted institution(required for acquiring/gaining equivalence with MD/MS/DM/M.Ch as per MCI/NMC TEQ	Remarks of scrutiny committee(regarding D.N.B. candidate/applicant fulfilling/not fulfilling criteria <u>for equivalence with MD/MS/DM/M.Ch</u> as per MCI/NMC TEQ)	Remarks of committee(regarding D.N.B. candidate/applicant fulfilling/not fulfilling criteria <u>for equivalence with MD/MS/DM/M.C.h</u> as per MCI/NMC TEQ)
D.N.B. candidate after acquiring/gaining equivalence with MD/MS/DM/M.Ch as per MCI/NMC TEQ, institution in accordance with MCI/NMC TEQ amendnt dated 14 th Feb 2022					

19. शैक्षणिक अनुभव :-

Post	Name of Institute	Institute: Medical College or Dental College or any other Stream	Recognised / permitted by MCI /NMC (Yes/No) (If permitted mention date of LOP)	From	To	Duration
Professor						
Associate Professor						
Assistant Professor						
SR/Tutor(post PG)						
PG Resident						

as per NMC rules.

20. रिसर्च पब्लिकेशन :- [To fill columns 1 to 6]

Total number of **Original Research Article/Papers** published in Indexed Journal as first/second/third/corresponding author :-

S.No.	Publication Title and Type of Article	Date of Publication	Published during tenure of Professor/Assoc. Prof/Assist. Prof/PG	Author number First/Second/Third/ corresponding Author (as per MCI/NMC Norms*)	Indexed in (as per MCI/NMC Norms*)& P-ISSN no.	Journal type National(N)/International (I), Print/E online Journal
1	2	3	4	5	6	
1						
2						
3						
4						

as per NMC rules.

Total number of **Systematic Review Papers** published in Indexed Journal as first/second/third/corresponding author :-

S.N	Publication Title and Type of Article	Date of Publication	Published during tenure of Professor/Assoc. Prof/Assist. Prof/PG	Author number First/Second/Third/ Corresponding Author	Indexed in (as per MCI/NMC Norms*)& P-ISSN no.	Journal type National(N)/International (I), Print/E online Journal	Approval as per MCI/NMC Norms*/Committee of Scrutiny Committee	Approval as MCI/NMC Norms*/Committee of Subject Expert
1	2	3	4	5	6			
1								
2								
3								
4								

as per NMC rules.

Total number of Meta-analysis Papers published in Indexed Hournal as first/second/third/corresponding author :-.....

S.N o.	Publica tion Title and type of Article	Date of Publica tion	Published during tenure of Professor/Assoc. Prof/ Assist.Prof/PG	Author number First/Second Third/Corre spondng Author	Indexed in(as per MCI/NM C Norms* & P- ISSN no.)	Journal type National(N)/Intern ational(I), Print/E online Journal	Approval as per MCI/NMC Norms*/Co mment of Scrutiny Committee	Approval as per MCI/NMC Norms*/Co mment of Subject Expert
1	2	3	4	5	6			
1								
2								
3								
4								

as per NMC rules.

Total number of Case series papers Published in Indexed Journal as first/second/third/corresponding author :-.....

S.N o.	Publica tion Title and Type of Article	Date of Publica tion	Published during tenure of Professor/Ass oc. Prof/Assist.Pr of/PG	Author number First/Second/Third/Cor respondng Author	Indexe d in(as per MCI/N C Norms *) & P- ISSN no.)	Journal type National(N)International (I), Print/E online Journal	Approval as per MCI/NMC Norms*/Co mment of Scrutiny Committee	Approval as per MCI/NMC Norms*/Co mment of Subject Expert
1	2	3	4	5	6			
1								
2								
3								
4								

as per NMC rules.

21. Other Information :-

Basic course in Biomedical Research from institution designated by MCI/NMC.	
Revised Basic Course in MET, AT-COM, CISP from institution designated by MCI/NMC.	
Principal Investigator/Co Principal Investigator in Research Project of ICMR/DST/DBT/Any National Research Body, in lieu of Publication/authorship	
Good clinical Practice workshop	
Editor/Member of Editorial board	
Membership of Scientific society	
Organized Conference(National/State)	
Awarded for	
Fellowship	
Scientific Paper/Poster Presentations at Conference/CME/CDE:	

22. संलग्न प्रमाण पत्रों की संपूर्ण सूची :- (Whichever applicable)

1. 1st M.B.B.S. Marksheets
2. 2nd M.B.B.S Marksheets
3. M.B.B.S. Pre Final Marksheets
4. M.B.B.S. Final Prof. Marksheets
5. M.B.B.S. Degree Certificate
6. M.B.B.S. Attempt Certificate
7. M.B.B.S. Registration Certificate
8. M.S./M.D./D.N.B/ PhD. Mark Sheet Certificate
9. M.S./M.D./D.N.B./ PhD. Degree Certificate
10. M.S./M.D./D.N.B./ PhD. Attempt Certificate
11. M.S./M.D./D.N.B./ Registration Certificate
12. AET-COM, Revised Basic Course in MET, CISPR from institution designated by MCI/NMC
13. Basic course in Biomedical Research (BCR) from institution designated by MCI/NMC
14. Professor in Medical College Teaching Experience Certificate
15. Associate Professor in Medical College Teaching Experience Certificate
16. Assistant Professor in Medical College teaching Experience Certificate
17. S.R./ Tutor(Post PG) in concerned subject in Medical College Teaching Experience Certificate
18. PG Resident Experience Certificate
19. Internship completion certificate
20. High School Mark sheet/Certificate or Birth Certificate
21. Higher Secondary Marksheets / Certificate
22. Digital Cast Certificate
23. Digital Domicile Certificate
24. Adhar Card
25. PAN Card
26. Copies of Research Publication
27. Copies of Chapters in Books
28. Conference/CDE/CME attended

Note :- All document copy must be self attested .

Name & Signature of Candidate

DATE : -

Mobile No.

PLACE :-

E-Mail ID :-

// घोषणा-पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सके गा।
2. मेरे विरुद्ध पुलिस प्रकरण में एम.आई.आर दर्ज नहीं है, और मेरे विरुद्ध कोई जॉच प्रचलन में नहीं है।
3. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।
4. मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज सत्य एवं सही है, नियुक्ति पश्चात् शिकायत आने पर या सत्यापन किये जाने पर कोई भी जानकारी या दस्तावेज असत्य अथवा फर्जी कूटरचित पाया गया तो बिना किसी कारण पद से पृथक किया जायेगा ओर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने कार्यवाही की जायेगी।

स्थान

दिनांक

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

चैक लिस्ट

1. आवेदन फॉर्म
2. पासपोर्ट साईज फोटो – 03
3. आवेदन शुल्क जमा करने की रसीद की छायाप्रति अथवा डी.डी.
4. MBBS First Prof. छायाप्रति संलग्न करें।
5. MBBS Second Prof. छायाप्रति संलग्न करें।
6. MBBS Final Part I छायाप्रति संलग्न करें।
7. MBBS Final Part II छायाप्रति संलग्न करें।
8. MBBS/MD/MS /MCH/DM/DNB छायाप्रति संलग्न करें।
9. Internship Completion Certificate छायाप्रति संलग्न करें।
10. Attempt Certificate (MBBS/MD/MS /MCH/DM/DNB) छायाप्रति संलग्न करें।
11. प्राध्यापक पद का चिकित्सा महाविद्यालय का शैक्षणिक अनुभव।
12. सह प्राध्यापक पद का चिकित्सा महाविद्यालय का शैक्षणिक अनुभव।
13. सहायक प्राध्यापक पद का चिकित्सा महाविद्यालय का शैक्षणिक अनुभव।
14. ट्यूटर/प्रदर्शक पद का चिकित्सा महाविद्यालय का शैक्षणिक अनुभव।
15. SR Ship चिकित्सा महाविद्यालय का शैक्षणिक अनुभव।
16. प्राध्यापक रिसर्च पब्लिकेशन (INDEXED JOURNAL)
17. AL)
18. सह प्राध्यापक रिसर्च पब्लिकेशन (INDEXED JOURNAL)
19. सहायक प्राध्यापक रिसर्च पब्लिकेशन (INDEXED JOURNAL)
20. ट्यूटर/प्रदर्शक रिसर्च पब्लिकेशन (INDEXED JOURNAL)
21. आधार कार्ड प्रति संलग्न करें।
22. हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा की अंकसूची।
23. डिजिटल जाति प्रमाण पत्र।
24. डिजिटल मध्यप्रदेश मूलनिवासी प्रमाण पत्र।
25. मेडिकल काउंसिल/डेंटल काउंसिल का पंजीयन (MBBS/MD/MS /MCH/DM/DNB)
26. अनापत्ति प्रमाण पत्र (शासकीय/स्वशासकीय/प्राईवेट)।

नोट :— प्रत्येक की स्वप्रमाणित एवं स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करें।

दिनांक	हस्ताक्षर :
स्थान	नाम :
	मोबाईल नंबर :
	ई—मेल आई.डी. :